अनुदान संख्या 96 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 96 - MINISTRY OF TEXTILES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4800,57,00	4800,62,00	4401,17,01	-399,44,99
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				357,16,74
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
पूरक	*Supplementary*		*17,00,00*	*17,00,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	30,91,00	39,71,00	37,02,07	-2,68,93
पूरक	Supplementary	8,80,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3500.00	3230.00	2815.99	-414.01
पु.	R.	- 270.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	27325.00	..	..	..
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-27327.00			
मुख्य शीर्ष “2851”	Major Head “2851”				
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	151191.00	150413.38	147581.59	-2831.79
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-778.62			
मुख्य शीर्ष “2852”	Major Head “2852”				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	298041.00	290701.88	289719.43	-982.45
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-7341.12			

(I) ₹32982.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹32827.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹32982.00 lakhs (including token supplementary grants of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹32827.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2552”

(A) Major Head “2552” -

(क) "ग्राम और लघु उद्योग – हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (सेन्ट्रल सेक्टर)" – ₹1950.00 लाख

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग – हस्तशिल्प उद्योग – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1850.00 लाख।

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग – रेशम उद्योग – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹2050.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र" –

(I) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹1200.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "पूर्वोत्तर में वस्त्रों का विकास" – ₹12500.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "मानव संसाधन विकास स्कीम" – ₹550.00 लाख; और

(ङ) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – जूट पर प्रौद्योगिकी मिशन – मिनी मिशन – II" – ₹7226.40 (₹1.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(a) "Village and Small Industries - Handloom Industries - National Handloom Development Programme (Central Sector)" - ₹1950.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries - Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" - ₹1850.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries - Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry" - ₹2050.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(d) "Consumer Industries - Textiles" -

(i) "National Institute of Fashion Technology" - ₹1200.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(ii) "Development of Textiles in North East" - ₹12500.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(iii) "Human Resource Development Scheme (ISDS)" - ₹550.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Technology Mission on Jute - Mini Mission-II" - ₹7226.40 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.40 lakh).

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "2851"—

(क) "रेशम उत्पादन उद्योग – रेशमी वस्त्रों का विकास" – ₹1000.00 लाख – परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – पावरलूम संवर्धन स्कीम" – ₹4500.00 लाख – व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(B) Major Head "2851" -

(a) "Sericulture Industries- Development of Silk Textiles" - ₹1000.00 lakhs- due to non-finalisation of projects.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Powerloom Promotion Scheme" - ₹4500.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वस्त्र मंत्रालय" – ₹684.01 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायत के उपाय के जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Textiles" - saving of ₹684.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2851" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(का) "हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्र सेक्टर)" – ₹941.48 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त के गए ₹0.10 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹18326.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और उपयोग प्रमाणपत्रों के लंबित होने के कारण हुई।

(A) "Handloom Industries - National Handloom Development Programme (Center Sector)" - saving of ₹941.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18326.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in November, 2019) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of proposals from implementing agencies and pending utilisation certificates.

(खा) "पावरलूम उद्योग" –

(क) "पावरलूम संवर्धन स्कीम" – ₹7138.47 लाख की बचत (₹11290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "ऊनी वस्त्रालय विकास" – ₹1100.00 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और उपयोग प्रमाणपत्रों के लंबित होने के कारण हुई।

(B) "Powerloom Industries" -

(a) "Powerloom Promotion Scheme" - saving of ₹7138.47 lakhs (against the sanctioned provision ₹11290.00 lakhs); and

(b) "Development of Woolen Textiles" - saving of ₹1100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals and pending utilisation certificates.

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(क) “राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (सेन्टर सेक्टर)” – ₹3315.47 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त के गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10000.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलंब होने, परियोजनाओं के अंतिम रूप न देने और उपयोग प्रमाणपत्रों के लंबित होने के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम” – ₹1850.98 लाख की बचत (₹6717.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2852” – “उपभोक्ता उद्योग” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसंधान एवं विकास और संस्थागत विकास” – ₹1262.06 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के कारण व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) “वस्त्रालय – संसोधित प्रौद्योगिकी अपग्रेडशन निधि स्कीम” – ₹38210.16 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावों की प्राप्ति न होने और प्रस्तावों के अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹675.64 लख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 39 प्रतिशत थीं।

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “National Handloom Development Programme (Center Sector)” - saving of ₹3315.47 lakhs (against the total sanctioned provision ₹10000.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in November, 2019) was due to non-receipt of viable proposals, delay in finalisation of proposals, non-finalisation of projects and pending utilisation certificates.

(b) “National Handicraft Development Programme” - saving of ₹1850.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6717.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head “2852” - “Consumer Industries” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Research and Development and Institutional Development” - saving of ₹1262.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals.

(B) “Textiles - Amended Technology Upgradation Fund Scheme” - saving of ₹38210.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs) was due to non-receipt of claims and delay in finalization of proposals.

(V) Under two heads savings of ₹675.64 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 15 percent and 39 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹42033.14 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2851"–

(क) "हस्तशिल्प उद्योग – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹3591.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2720.43 लाख था।

(ख) "रेशम उत्पादन उद्योग – केन्द्रीय रेशम बोर्ड" – ₹5689.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5688.75 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (सेन्टर सेक्टर)" – ₹1322.26 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1297.29 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग" –

(क) "वस्त्र" –

(i) "वस्त्र समिति को सहायता" – ₹5265.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5264.50 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹4216.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4015.90 लाख था।

(iii) "वस्त्र अवसंरचना और मेगा कलस्टर" – ₹3071.88 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2949.40 लाख था।

(iv) "पूर्वोत्तर में वस्त्र विकास" – ₹11800.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि,

2.(I) The above savings were partly (₹42033.14 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹5.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following major heads:-

(A) Major Head "2851" -

(a) "Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" - ₹3591.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2720.43 lakhs.

(b) "Sericulture Industries - Central Silk Board" - ₹5689.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5688.75 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - National Handloom Development Programme (Center Sector)" - ₹1322.26 lakhs. Actual excess, however, was ₹1297.29 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries" -

(a) "Textiles" -

(i) "Assistance to Textile Committee" - ₹5265.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5264.50 lakhs.

(ii) "National Institute of Fashion Technology" - ₹4216.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4015.90 lakhs.

(iii) "Textile Infrastructure and Mega Clusters" - ₹3071.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹2949.40 lakhs.

(iv) "Development of Textiles in North East" - ₹11800.00 lakhs. Actual

₹11720.72 लाख था।

(ख) "अन्य – जूट" – ₹7078.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6925.27 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईंः–

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रेशम वस्त्र का विकास" – ₹1928.95 लाख का अधिक व्यय (नवंबर, 2019 में प्राप्त के गए ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10000.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम" – ₹1584.36 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "रेशम उद्योग विकास के लिए अनुदान" – ₹2192.90 लाख का अधिक व्यय (नवंबर, 2019 में प्राप्त के गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5000.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1040.25 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक थीं।

excess, however, was ₹11720.72 lakhs.

(b) "Others - Jute" - ₹7078.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6925.27 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Development of Silk Textiles" - excess of ₹1928.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10000.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in November, 2019) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "National Handicraft Development Programme" - excess of ₹1584.36 lakhs (against Nil provision); and

(b) "Grants towards Development of Silk Industry" - excess of ₹2192.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5000.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in November, 2019).

Excess under the above two heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under three heads excess of ₹1040.25 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 29 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹268.93 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹880.00 लाख के पूरक अनुदान का 31 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹268.93 lakhs) constituted 31 percent of the supplementary grant of ₹880.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and 7 percent of the total sanctioned provision.

(I) ₹52.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹52.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) ₹299.67 लाख की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुईं जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

(II) Under one head saving of ₹299.67 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.